मन्नीराम गढ़वाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	अपील मु.नं. 1/2022
03-02-22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट की ओर से जवाब पेश कर दिये जाने के वकील अपीलार्थी ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील अपीलार्थी के निवेदन पर अपील में बहस अपीलार्थी वकील एक पक्षीय सुनी गई। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रकरण में निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश बहसीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
106/रीडर 8-2-2022	यह निर्णय आज दिनांक 03-02-22 को मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	03/02/22 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/2022	2022/06	13.01.2021	03.02.2022

उनवान

1. मन्नीराम गढ़वाल पुत्र स्व0 सुल्तानाराम गढ़वाल उम्र 52 साल जाति जाट निवासी ग्राम गुमाना का बास तहसील सीकर जिला सीकर राज0 हाल निवासी प्लाट नम्बर 51 ए उमराव विहार गोकुलपुरा सीकर जिला सीकर हाल पटवारी हल्का लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत लिसाड़िया, पं.स. श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

श्री अनिल यादव, एड0 अपीलार्थी वादीगण अभिभाषक।
सरपंच, ग्राम पंचायत लिसाड़िया, रेस्पोडेन्ट नं. 1

नामान्तकरण अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.11.2019 सरपंच ग्राम पंचायत लिसाड़िया पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 बाबत नामान्तकरण संख्या 2368 दिनांक 22.10.2019 ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील नामान्तकरण संख्या 2368 दिनांक 22.10.2019 ग्राम पंचायत लिसाड़िया के द्वारा स्वीकृत के खिलाफ रेस्पोडेन्ट के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम लिसाड़िया [illegible] कुन्दनसिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति राजपूत द्वारा खाता संख्या 3, 4 [illegible] मय मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वारिसनामा शपथ पत्र पेश कर [illegible] पुत्र प्रहलादसिंह का विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:58 IST
Reason: SelfAttested

01/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पेश किया गया। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 2368 दिनांक 22.10.2019 को दर्ज किया गया एंव दिनांक 25.11.2019 को पंचायत द्वारा निर्णय किये जाने पर नामान्तकरण लोक करवा दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम लिसाड़िया में अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत नाम के दो अलग अलग व्यक्ति है। जिसमें एक फौत हो चुके है तथा दूसरा व्यक्ति वर्तमान में जीवित है तथा जीवित व्यक्ति अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत जिसका खाता संख्या 565 है जिसमें सहवन से मृत्तक व्यक्ति के वारिसों के नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया था जबकि खाता संख्या 565 में दर्ज खातेदार अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह वर्तमान में जीवित है परन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त खाता संख्या 565 में नामान्तकरण स्वीकार करने का निर्णय दिनांक 25.11.2019 गलत रूप से पारित फरमा दिया गया है। जो निरस्तनीय है। एंव उक्त खाता संख्या 565 कृषि भूमि खसरा नम्बर 1126/1803 रकबा 0.9600 हैक्टर तन् ग्राम लिसाड़िया में नामान्तकरण संख्या 2368 दिनांक 22.10.2019 के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजपूत हिस्सा 1/2 के स्थान पर औंकारसिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/10, कुन्दरसिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/10, गोपाल कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/10, पुष्पा कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/10, संतोष कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/10 जो गलत रूप से दर्ज हुआ है उसके स्थान पर अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत हिस्सा 1/2 बहाल किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अपील अपीलार्थी ने अपील नामान्तकरण स्वीकार फरमाकर जाकर राजस्व ग्राम लिसाड़िया के खाता संख्या 565 कृषि भूमि 1126/1803 रकबा 0.9600 हैक्टर में दर्ज खातेदार अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 जो वर्तमान में जीवित है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त खाता संख्या 565 बाबत नामान्तकरण स्वीकार करने का जो निर्णय दिनांक 25.11.2019 गलत रूप से पारित फरमाया गया है उसे निरस्त फरमाया जाकर उक्त खाता संख्या 565 कृषि भूमि खसरा नम्बर 1126/1803 रकबा 0.9600 हैक्टर तन् ग्राम लिसाड़िया में नामान्तकरण संख्या 2368 दिनांक 22.10.2019 के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत हिस्सा 1/2 के स्थान पर औंकारसिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/10, कुन्दरसिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/10, गोपाल कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/10, पुष्पा कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/10, संतोष कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/10 जो गलत रूप से परिवर्तन हुआ है उसके स्थान पर अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत हिस्सा 1/2 पूर्व स्थिति बहाल की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिये जाने का निवेदन अपीलार्थी द्वारा किया गया है। खाता संख्या 565 कृषि भूमि खसरा नम्बर 1126/1803 रकबा 0.9600 हैक्टर की बाबत निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:58 IST
Reason: SelfAttested

02/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

25.11.2019 नामान्तकरण संख्या 2368 विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है। इसलिए अपील नामान्तकरण बहक अपीलार्थी विरूद्ध रेस्पोडेन्ट माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर अपीलार्थी द्वारा पेश अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने हाजिर अदालत होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के फौत होने पर पटवारी हल्का लिसाड़िया द्वारा नामान्तकरण संख्या 2368 विरासत दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.11.2019 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नाम के दो व्यक्ति है तथा सहवन से एक जीवित व्यक्ति के खाते में भी एक ही नाम होने से विरासत दर्ज हो गई। ग्राम लिसाड़िया के खाता.सं. 565 में खातेदार अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के जीवित होते हुए विरासत गलत दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब के साथ ग्राम पंचायत लिसाड़िया की बैठक दिनांक 25.11.2019 के प्रस्ताव संख्या 5 की कार्यवाही विवरण के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश की है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब पेश करने पर प्रकरण में वकील अपीलार्थी ने एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस अपीलार्थी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में रेस्पोडेन्ट पक्षकार के द्वारा अपीलार्थी के अपील नामान्तकरण को स्वीकार करते हुए अपने जवाब में अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नाम के दो व्यक्ति है तथा सहवन से एक जीवित व्यक्ति के खाते में भी एक ही नाम होने से विरासत दर्ज हो गई। ग्राम लिसाड़िया के खाता सं. 565 में खातेदार अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के जीवित होते हुए विरासत गलत दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने जवाब में अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नाम के दो व्यक्ति होने तथा सहवन से एक जीवित व्यक्ति के खाते में भी एक ही नाम होने से विरासत दर्ज होना तथा ग्राम लिसाड़िया के खाता सं. 565 में खातेदार अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के जीवित होते हुए विरासत गलत दर्ज होना स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। वकील अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट की सहमति के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

09/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमनें वकील अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 कुल पाँच जमाबन्दियों, नामान्तकरण संख्या 2368, ग्राम पंचायत लिसाड़िया की बैठक दिनांक 25.11.2019 के बैठक कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रतियॉं इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नाम के दो व्यक्ति होने तथा सहवन से एक जीवित व्यक्ति के खाते में भी एक ही नाम होने से विरासत दर्ज होना तथा ग्राम लिसाड़िया के खाता सं. 565 में खातेदार अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के जीवित होते हुए विरासत गलत दर्ज होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिस बाबत नामान्तकरण स्वीकारकर्त्ता रेस्पोडेन्ट के द्वारा भी उक्त गलती होना अपने जवाब में स्वीकार किया है। जिससे भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा पेश अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलार्थी द्वारा पेश अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाती है तथा ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1126/1803 रकबा 0.9600 हैक्टर में दर्ज खातेदार अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपत हिस्सा 1/2 के नामान्तकरण संख्या 2368 निर्णय दिनांक 25.11.2019 को खाता संख्या 565 की हद तक खारिज किया जाता है तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुए अगरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजपूत हिस्सा 1/2 के स्थान पर [illegible] अगरसिंह हिस्सा 1/10, गोपाल औंकार सिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/10, कु[illegible] हिस्सा 1/10, संतोष कंवर कंवर पुत्री अगर सिंह हिस्सा 1/10, [illegible] पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/10 का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर अगरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:58 IST
Reason: SelfAttested

03/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आदेश पारित किये जाते है तथा शेष खाता संख्या 3, 4, 5 व 351 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की कार्यवाही करे। इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी ... (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/02/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:58 IST
Reason: SelfAttested